



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 39 राँची, मंगलवार,

24 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

17 नवम्बर, 2022

संचिका संख्या:-8/आरोप-06/2021 का. 7143--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अमित कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध आरोप पत्र कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1324 दिनांक-09.12.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-167 दिनांक-12.01.2022 द्वारा श्री कच्छप से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-2214 दिनांक-07.04.2022, पत्रांक-3537 दिनांक-08.06.2022 एवं पत्रांक-5768 दिनांक-14.09.2022 द्वारा इन्हें अन्तिम रूप से स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री कच्छप द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया।

3. श्री कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी) के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री आसिफ हसन, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को एतद् द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री शिव कुमार केडिया, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
